कुछ अलग

सरकारी विभागों में फाइलों के मूवमेंट पर रखी जायेगी पैनी नजर

फाइल नहीं दबा सकेंगे अफसर और बाबू

पटना | आलोक चन्द्र

सरकारी फाइलों को लेकर अब सरकारी विभागों का ढीला-ढाला रवैया नहीं चलेगा। कोई अधिकारी फाइलों को अपनी मनमर्जी से दबाकर नहीं बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने विभागों के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए हर फाइल के मूवमेंट की चौकसी शुरू कर दी है। प्रत्येक फाइल पर उसके प्रत्येक मूवमेंट की जानकारी दर्ज होगी। फाइल कब कहां आई, कहां गई और कितने दिनों में गई, यह सब फाइल के ऊपर ही दर्ज होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर संचिकाओं के मूवमेंट को उसी पर दर्ज करने का निर्देश दिया। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बगैर इस सूचना के कोई फाइल दूसरी जगह स्वीकृत नहीं होगी। नई व्यवस्था 25 अप्रैल से पूर्णतः लागू हो जाएगी। सामान्यतः फाइलें तीन दिनों में निपटा देनी हैं। अब अगर उसे रोका जाएगा तो कारण भी बताना होगा। प्रत्येक फाइल के ऊपर ही उसकी प्राप्ति और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा उपस्थापन की तारीख अंकित होनी चाहिए। विभाग ने इसके लिए अलग से एक फार्मेट भी उपलब्ध कराया है। इसी फार्मेट को फाइलों के ऊपर साटना है। इस फार्मेट को नियमित रूप से भरा जाना है। फाइल कहीं भी निकलेगी, उसकी सूचना उसपर अवश्य दर्ज होगी। फिलहाल इस संबंध में कोई नियम नहीं है। जिस अधिकारी को जितने दिन मन चाहा, फाइल दबाए बैठे रहते हैं।

पारदर्शिता की कसरत

- 25 अप्रैल से सभी विभागों में लागू हो जाएगी नई व्यवस्था
- फाइलों के मूवमेंट की जानकारी उसके ऊपर दर्ज करना अनिवार्य
- बगैर इस सूचना के आगे स्वीकार्य नहीं होगी फाइलें

नई व्यवस्था से काम में पारदर्शिता तो आएगी ही, समय पर फाइलों का निष्पादन भी होगा। बिना कारण फाइल नहीं रुकेगी। निर्धारित समय पर पदाधिकारियों को फाइलें निपटानी होंगी।

दीपक कुमार, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग